



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



—: आवश्यक सूचना :—

(विज्ञापन सं०-08/2019, 11/2019 एवं 02/2020)

विज्ञापन संख्या 08/2019 के तहत विज्ञापित पद Regional Program Manager (RPMU), Regional Nursing Consultant (RPMU), Regional M & E Officer (RPMU) एवं Bio-Medical Engineer (RPMU) के रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 06/12/2019 तक, विज्ञापन संख्या 11/2019 के तहत विज्ञापित पद DEIC Manager-cum-Coordinator (RBSK) के रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 20/01/2020 तक तथा विज्ञापन संख्या 02/2020 के तहत विज्ञापित पद Counsellor, District Urban Health Consultant (NUHM), District Community Mobilizer, Audiometric Assistant (NPPCD), Instructor for Hearing Impaired Children (NPPCD), Dental Hygienist (NOHP) एवं Dental Assistant (NOHP) के रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 17/03/2020 तक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गये तथा दिनांक 13-14 मार्च, 2020 एवं 1-2 दिसम्बर, 2020 को अभ्यर्थियों का ऑनलाईन Computer Based Test (CBT) लिया गया। उक्त CBT में प्राप्त अंक तथा शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर Qualified अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध 1:2.5 एवं 1:5 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया गया है। विज्ञापन में प्रकाशित चयन के आधार के अनुरूप उक्त पदों के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर रिक्ति के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। अतः उक्त अनुपात में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का Document Verification/ Counselling किया जाना है, जिसे वेबसाईट statehealthsocietybihar.org पर अपलोड/प्रकाशित कर दिया गया है। सभी संबंधित प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरांत तदनुसार रिक्ति के अनुसार अंतिम रूप से चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

2. Shortlisted अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु Counselling के लिए तिथि/समय/स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

पद का नाम	तिथि	समय	Sl. No. (प्रकाशित सूची के अनुसार)	अभ्यर्थियों की संख्या	स्थान
Regional Program Manager (RPMU)	06/12/2021 (सोमवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 - 17	17	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना-14
Regional M & E Officer (RPMU)	06/12/2021 (सोमवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 - 20	20	
Bio-Medical Engineer (RPMU)	06/12/2021 (सोमवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 - 15	15	
DEIC Manager-cum-Coordinator (RBSK)	06/12/2021 (सोमवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 - 73	73	
		02:00 PM - 05:00 PM	74 - 197	124	
Regional Nursing Consultant (RPMU)	07/12/2021 (मंगलवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 - 11	11	
District Urban Health Consultant (NUHM)	07/12/2021 (मंगलवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 - 59	59	
Audiometric Assistant (NPPCD)	07/12/2021 (मंगलवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 - 40	40	
Instructor for Hearing Impaired Children (NPPCD)	07/12/2021 (मंगलवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 - 14	14	

[Handwritten Signature]



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



District Community Mobilizer	07 / 12 / 2021 (मंगलवार)	02:00 PM - 05:00 PM	1 - 76	76
Dental Hygienist (NOHP)	07 / 12 / 2021 (मंगलवार)	02:00 PM - 05:00 PM	1 - 18	18
Dental Assistant (NOHP)	07 / 12 / 2021 (मंगलवार)	02:00 PM - 05:00 PM	1 - 17	17
Counsellor	08 / 12 / 2021 (बुधवार)	10:00 AM - 01:00 PM	01-131	131
		02:00 PM - 05:00 PM	132-262	131
	09 / 12 / 2021 (गुरुवार)	10:00 AM - 01:00 PM	263-393	131
		02:00 PM - 05:00 PM	394-524	131
	10 / 12 / 2021 (शुक्रवार)	10:00 AM - 01:00 PM	525-655	131
		02:00 PM - 05:00 PM	656-786	131
	11 / 12 / 2021 (शनिवार)	10:00 AM - 01:00 PM	787-917	131
		02:00 PM - 05:00 PM	918-1048	131
	13 / 12 / 2021 (सोमवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1049-1179	131
		02:00 PM - 05:00 PM	1180-1310	131
	14 / 12 / 2021 (मंगलवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1311-1441	131
		02:00 PM - 05:00 PM	1442-1571	130

- पहले चरण (Morning) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 09:30 AM एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 01:30 PM निर्धारित किया गया है।
- उक्त निर्धारित तिथि को यदि Counselling में अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो प्रमाण-पत्र सत्यापन/काउन्सलिंग में अनुपस्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

3. Shortlisted अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को ससमय नियत स्थान पर निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं उसका एक स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित होंगे :-

- CBT परीक्षा का प्रवेश-पत्र (Admit Card)
- 02 (दो) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।
- जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
- Essential Qualification** - से संबंधित डिग्री एवं अंक प्रमाण-पत्र

Regional Program Manager (RPMU)	Essential Qualification
	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Public Health (MPH) (Full Time) from any recognized university/ institute. OR • Master of Social Work (MSW) (Full Time)/ M.A (Social Work) (Full Time) from any recognized University/institute. OR • MBA (two years Full Time) / PG Diploma (two years Full Time) with specialization in Public Health/ Hospital

Signature



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



	Management / Health Management/ Management from any recognized university / institute.
	Essential Experience: Minimum 3 years of post qualification working experience in Health Service Sector.
Regional Nursing Consultant (RPMU)	Essential Qualification : <ul style="list-style-type: none">• B.Sc. Nursing or Post Basic Nursing along with Post graduate Degree/Diploma in Public Health from any recognized institute/University.• Registration of candidates from Bihar Nurses Registration Council shall also be necessary.
Regional M & E Officer (RPMU)	Essential Qualification : <ul style="list-style-type: none">• Post-graduate (Full Time) in Statistics / M.Sc (IT) (Full Time) from any recognized institute/ university. OR• MCA (Full Time) from any recognized institute/ university. OR• B.E/B.Tech (Full Time) in Computer Science / IT from any recognized institute/ university. OR• BCA (Full Time) with Master of Public Health (MPH) (Full Time) from any recognized university/ institute. OR• BCA (Full Time) with MBA (two years Full Time) / PG Diploma (two years Full Time) with specialization in Public Health/ Health Administration/ Health Care Management/ Health Care Administration from any recognized institute/ university.
Bio-Medical Engineer (RPMU)	Essential Qualification : <ul style="list-style-type: none">• Bachelor's degree in engineering- B.E./B.Tech. (Full Time) in Bio-Medical engineering from any recognized university/ Institution. Essential Experience : <ul style="list-style-type: none">• Minimum 2 years of post-qualification working experience in Health Service Sector.
DEIC Manager-cum-Coordinator (RBSK)	Essential Qualification : <ul style="list-style-type: none">• Masters in Disability Rehabilitation Administration (MDRA) approved by Rehabilitation Council of India (RCI). OR• BPT (Bachelor in Physiotherapy) OR• BOT (Bachelor in Occupational Therapy) OR• BPO (Bachelor in Prosthetic and orthotics) OR• B.Sc Nursing and other RCI recognized degrees
Counsellor	Essential Qualification : <ul style="list-style-type: none">• Bachelor Degree (Full Time) in Social Work/ sociology/ psychology from any recognized university/ Institution.
District Urban Health Consultant (NUHM)	Essential Qualification : <ul style="list-style-type: none">• Master of Public Health (MPH) (Full Time) from any recognized institute/ university OR• MBA (two years Full Time)/PG Diploma (two years Full Time) with specialization in Public Health/ Hospital

Signature



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



	<p>Management / Health Management/ Health Care Management from any recognized university / institute</p> <p>Essential Experience:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimum two years of post qualification working experience in Health Service Sector.
District Community Mobilizer	<p>Essential Qualification :</p> <ul style="list-style-type: none"> Master Degree of Social Work (MSW) (Full Time)/ M.A in Social Work (Full Time) from any recognized institute/ university <p style="text-align: center;">OR</p> <ul style="list-style-type: none"> Post Graduate Degree (Full Time) with specialization in Rural Development from any recognized university/ institute <p style="text-align: center;">OR</p> <ul style="list-style-type: none"> MBA (two years Full Time)/PG Diploma (two years full-time) with specialization in Rural Development/ Rural Management from any recognized university/ institute
Audiometric Assistant (NPPCD)	<p>Essential Qualification :</p> <ul style="list-style-type: none"> Intermediate from recognized board with 1 Year Diploma in Audiology
Instructor for Hearing Impaired Children (NPPCD)	<p>Essential Qualification :</p> <ul style="list-style-type: none"> Intermediate from recognized board with 1 Year Diploma in Audiology
Dental Hygienist (NOHP)	<p>Essential Qualification :</p> <ul style="list-style-type: none"> Intermediate (biology)/ 10+2 (biology) from recognized board with Diploma in Dental Technician / Dental Hygienist /Dental Mechanic courses from a govt recognized institute. Registration with State Dental Council
Dental Assistant (NOHP)	<p>Essential Qualification :</p> <ul style="list-style-type: none"> Matriculation from recognized board. Certificate Course in Dental Assistant 6-12 months

- (v) फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा- मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि।
- (vi) आरक्षण का दावा करने संबंधित प्रमाण-पत्र। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र तथा क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।
- (vii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
- (viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए जिलापदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
- (ix) अन्य कोई प्रमाण-पत्र जो लागू हो।

4. आरक्षण का दावा करने संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है -

- (i) आरक्षण का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है)।
- (iii) पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

Rajsh




राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- (iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का कीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।
- (v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसंम्यति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- (vi) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब Counselling हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (vii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
- (viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए जिलापदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।

5. उक्त पदों हेतु आयु, कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए **Cut-off date 01.08.2019** (विज्ञापन संख्या 08/2019 के लिए) एवं **01.01.2020** (विज्ञापन संख्या 11/2019 एवं 02/2020 के लिए) होगी।

6. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाइट—www.statehealthsocietybihar.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/Email के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।


(राजेश कुमार)
उपसचिव-सह-
प्रभारी, मानव संसाधन